बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सारण नहर प्रमण्डल, भोरे

Email:-scdbhore@gmail.com

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या –02/2026–27

पत्रांक 702........./भोरे, दिनांक 18......./...05.../2026

सारण नहरप्रमंडल, भोरे के अन्तर्गत प्रमंडलाधीन योजनाओं के गहन अनुश्रवण एवं नहरों/वितरणियों/अवर प्रमंडलों/प्रशाखाओं के निरीक्षण एवं उच्चाधिकारियों की बैठकों में भाग लेने इत्यादि कार्यों हेतु भाड़े पर एक अदद बोलेरो के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसे मुहरबंद लिफाफे में **दिनांक– 29.05.2026 को 03:00** बजे अपराह्न तक सारण नहर प्रमंडल, भोरे कार्यालय मे जमा किया जायेगा और उसी दिन 3:30 बजे अपराह्न में खोला जाएगा। कोटेशनदाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खुलने के समय उपस्थित रहेगें।

शर्तें निम्नवत् है :–

1. भाड़े पर वाहन वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए मार्च 2027 तक लिया जायेगा। संतोषजनक सेवा रहने पर मार्च 2028 तक 01 साल के लिए एकरारित दर पर ही अवधि विस्तार किया जा सकता है। वाहन का व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।
2. वाहन का मॉडल 2017 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हालत मे होना चाहिए।
3. वाहन का दैनिकरख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी सप्ताहिक सफाई आदि पर होनेवाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
4. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैद्य ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
8. वाहन के उपयोग के लिए लौगबुक का संधारण वाहन मालिक की जबावदेही होगी जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।
9. जिला प्रशासन, गोपालगंज द्वारा बोलेरो के निर्धारित दर से अधिक उद्धत किया गया दर मान्य नही होगा।
10. वाहन का (चालक सहित) प्रतिदिन का न्यूनतम दर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा।सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना नोटिस के एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
11. खरीफ अवधि में वाहन का उपयोग दिन एवं रात दोनो समय में अत्यधिक होता है। अतः इस अवधि में दो चालक उपलब्ध कराना होगा।
12. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता निजि अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेंगे।
13. कोटेशनदाता के द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र का प्रारूप :–"I, The undersigned do hereby certify that all the statements made in the required attachment are true and correct, and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R. and lawful punishment as well as blacklisting."
14. वहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण मेंर हेगा एव किसी भी परिस्थति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा।वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दो गुणे दर से कटौती कर ली जायेगी। इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 1 से 12 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ–पत्र क्रमांक 13 (नोटरी द्वारा निर्गत) के अनुसार एव क्रमांक 05 एवं 06 संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेंगें। एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैद्य कोटेशनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा। जिसकी तिथि बाद में सूचित किया जाएगा। शपथ–पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

कार्यपालक अभियंता,
सारण नहर प्रमंडल, भोरे

पत्रांक ......702......... भोरे/ दिनांक ...18/05/2026......./

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, सिवान/मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन जल संसाधन विभाग, सिवान को सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
सारण नहर प्रमंडल, भोरे

पत्रांक ....702.......... भोरे /दिनांक ....18/05/2026....../

प्रतिलिपि– सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना/प्रभारी आई0 टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि इसे लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

अनु0–(PDF and Soft Copy M.S. Word)

Sunil Kumar 18/05/2026

कार्यपालक अभियंता,

(ID-5446)

सारण नहर प्रमंडल, भोरे

18-5-26